Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

For : BA(H) Part - II

कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन :

भारत और ब्रिटेन

कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। यह व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये विभिन्न कानूनों को लागू कराता है। गिल क्राइस्ट के शब्दों में "कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है।

भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है। दोनों में प्रधानमंत्री ही वास्तविक एवं व्यवहारिक तौर पर कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। दोनों ही देशों में वैधानिक अथवा औपचारिक तौर पर नाममात्र की कार्यपालिका है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है तो ब्रिटेन में सम्राट को नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति है। हालांकि भारत एक गणतांत्रिक देश है जबकि ब्रिटेन में अभी राजतंत्र को निरन्तरता प्रदान की गई है। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के पास वास्तविक प्रभुसता है। ब्रिटेन की राजतंत्र के बारे में कहा जाता है कि राजा लोकतंत्र के हाथों बिक चुका है। इसीलिए ब्रिटिश व्यवस्था को ताजधारी गणतंत्र Crowned Republic भी कहा जाता है। राजा का पद पैत्रिक है। जबकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। उसे भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया गया है। और उसका पद शोभा

संवैधानिक द्रष्टि से भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और सम्राट द्वारा किया जाता है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति अथवा सम्राट लोकसभा या हाउस ऑफ कामन्स में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। स्पष्ट बहुमत के अभाव में ही उन्हें विवेक से काम करने का मौका मिलता है। दोनों ही देश में मंत्रिमण्डल सम्राट या राष्ट्रपति के सलाहकारों का समुह है जबकि व्यवहार में मंत्रिमण्डल और उसके नेता प्रधानमंत्री ही वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका है।

भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, वे शासन के साथ ही अपने दल के भी नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति या सम्राट विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा राजदूतों आदि की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री ही मुख्य रूप से नीति-निर्माता की भूमिका में होते हैं। वे न केवल शासन की देखभाल करते हैं बल्कि सभी विभागों के बीच समन्वय भी करते हैं। सम्राट अथवा राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी की भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है। साथ ही साथ वह संसद एवं मंत्रिमण्डल के बीच भी कड़ी की भूमिका का निर्वाह करता है।

भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही देश में प्रधानमंत्री अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। वह राष्ट्र के नेता के रूप में देश की हर समस्या को निपटाने खोजता है।

भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही देशों में नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। विभागीय मंत्री यदि अनाड़ी होते हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारीगण विशेषज्ञ बन जाते हैं।

Scanned with CamScanner